# छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

बस स्टैन्ड के पीछे (पुराना बस डिपो नं.1 परिसर) पंडरी, रायपुर
Web : confonet.nic.in, E-mail : chg-sforum@nic.in Phone No. 0771-2582902, 2582903, Fax - 0771-2582904

क्रमांक 304/स्था–69 /2019 रायपुर, दिनांक 18/11/2019

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :– सफाई कर्मचारी के नियमित भर्ती हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किये जाने के संबंध में।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर पंडरी बस डिपों के पीछे रायपुर (छ.ग.) कार्यालय हेतु, आरक्षण रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी की सफाई कर्मचारी के एक पद पर नियमित भर्ती हेतु, भर्ती के संबंध में छ.ग. शासन, वित्त विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरांत (प्रदर्श–1) छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासियों के लिये, आवेदन दिनांक 07.12.2019 तक आंमंत्रित करता है।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि कृपया शासकीय हित में उपरोक्त भर्ती के संबंध में विज्ञापन का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय समाचार पत्रों में नियमानुसार, जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

चूंकि प्रकरण समय–सीमा का है,अतः तत्काल कार्यवाही निवेदित है।

कृपया इसे प्राथमिकता देवे। धन्यवाद सहित।

सहपत्र–विज्ञापन की प्रति।

माननीय न्यायमूर्ति/अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार

(नंद कुमार सिंह ठाकुर) (उच्च न्यायिक सेवा)
रजिस्ट्रार/एक्ज्यूकेटिव मजिस्ट्रेट
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोषण आयोग रायपुर (छ.ग.)

पृ क्रमांक 304/स्था–69 /2019 रायपुर, दिनांक 18/11/2019

प्रतिलिपि, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, जनसम्पर्क विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को लेख है कि कार्यालयीन पत्र कमांक 304/स्था.–56/2019 दिनांक 31.10.2019 के माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया था कि यह आयोग जो कि पूर्णतः शासकीय कार्यालय है, अतः स्वीपर के पद का विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क करने का कष्ट करें, उपरोक्त अनुरोध के उपरांत भी आपके द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया गया, जिसके कारण पुर्व निर्धारित अंतिम तिथि 15.11.2019 को बढ़ाकर दिनांक 07.12.2019 करना पड़ा। आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किये जाने के कारण माननीय न्यायमूर्ति अध्यक्ष छ.ग. राज्य उपभोक्ता आयोग रायपुर द्वारा नाराजगी व्यक्त की है, विदित हो कि यह आयोग उच्च न्यायिक सेवा का कार्यालय है जिसमें अध्यक्ष के पद पर माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की पदस्थापना होती है तथा माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के माध्यम से, रजिस्ट्रार के पद पर उच्च न्यायिक सेवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायिक सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना होती है ।



क्रमशः..
कृपया पीछे देखें..

अतः अवगत करावें कि किन कारणों से निर्धारित समयावधि में आपके द्वारा छ.ग. राज्य के स्थानीय समाचार पत्रों में उक्त विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया जा सका ? ताकि तिथि वृद्धि के कारणों में आपके द्वारा बताये गये कारण को भी उल्लेखित किया जा सके।

माननीय न्यायमूर्ति/अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार

sd

(नंद कुमार सिंह ठाकुर ) (उच्च न्यायिक सेवा )
रजिस्ट्रार/एक्ज्यूकेटिव मजिस्ट्रेट
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोषण आयोग रायपुर (छ.ग.)

# छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

बस स्टैन्ड के पीछे (पुराना बस डिपो नं.1 परिसर) पंडरी, रायपुर
Web : confonet.nic.in, E-mail : chg-sforum@nic.inPhone No. 0771-2582902, 2582903, Fax - 0771-2582904

क्रमांक 304/स्था–70/2019 रायपुर, दिनांक 18/11/2019

//सफाई कर्मी के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन//

छ.ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर की स्थापना में निम्नानुसार सफाईकर्मी के 01 नियमित पद पर सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासियों से सादे आवेदन पत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है:–

| क | पद का नाम | वेतन लेवल | आरक्षण बिन्दु | शैक्षणिक योग्यता |
|---|---|---|---|---|
| 01 | सफाईकर्मी (नियमित पद पर) | 01 | अनुसूचित जनजाति | 05 वीं परीक्षा उत्तीर्ण |

1. अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मय फोटो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों सहित सादे आवेदन पत्र पर, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से **रजिस्ट्रार, छ.ग. राज्य उपभोक्ता आयोग, रायपुर पंडरी रायपुर कार्यालय के नाम पर दिनांक 07.12.2019** को शाम 05:30 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिये, उसके उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. आवेदक द्वारा अपनी आयु 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की पूर्ण कर ली हो।
3. अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम 45 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट है।
4. अनुसूचित जनजाति की महिला आवेदक को नियमानुसार अधिकतम 50 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट है।
5. विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वर्ग के आवेदक को नियमानुसार अधिकतम 55 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट है।
6. छ.ग. शासन द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में निर्धारित किये गये सभी प्रावधान सम्मिलित होगें।
7. यदि कोई अनुभव प्रमाण पत्र हो तो संलग्न करें।
8. अभ्यर्थी के पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार माननीय अध्यक्ष, छ.ग. राज्य उपभोक्ता आयोग रायपुर को होगा।
9. आवेदक को बुलावा पत्र के साथ अपने समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना आवश्यक होगा।
10. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय से स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. चयनित उम्मीदार का पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा।
12. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये, किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
13. परीक्षा में उपस्थित होने पर मार्ग व्यय एवं अन्य व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क है।
15. परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है।
16. परीक्षा का समय एवं दिनांक की जानकारी अभ्यर्थी को काल लेटर के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार

(नन्द कुमार सिंह ठाकुर)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोषण आयोग रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
"मंत्रालय"
महानदी भवन, अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक एफ 5–4/खाद्य/2010/29–1 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 22 जून, 2019

प्रति,

रजिस्ट्रार,
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषयः– आयोग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने बाबत्।
संदर्भः– आपका ज्ञापन क्रमांक 304/स्था.40/2019, दिनांक 08.05.2019

------

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर हेतु स्टेनोटायपिस्ट(अंग्रेजी) तथा स्वीपर के 02 पदों की भर्ती हेतु स्वीकृति प्रदान करता है।

3/ उक्त स्वीकृति **वित्त विभाग के कम्प्यूटर कमांक एफ–2019–29–00794 दिनांक 18.06.2019** द्वारा दी गई सहमति अनुसार प्रदान की जाती है।

K.K. Gautam 22/6/19
(के.के. गौतम)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5–4/खाद्य/2010/29–1 अटल नगर, रायपुर, दिनांक जून, 2019

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, छ.ग.
3. निज सहायक, सचिव, छ.ग.शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर
4. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर
5. अध्यक्ष, छ.ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.विभाग

1670
25-6-19